पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 15 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-04.09.2024

दिनांक 03/04.09.2024 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी 08, गोमतीनगर 02, चिनहट 02, बिजनौर 01,कैसरबाग 01,तालकटोरा 01 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में थाना अलीगंज 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 15 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0/बी0एन0एस0

थाना पीजीआई-दिनांक 04.09.2024 थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री शचीन्द्र कुमार वाजपेयी निवासी फ्लैट नं0 बी-506 नीलकण्ठ ड्रीम्ज टावर सेक्टर-14 वृन्दावन योजाना थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि दिनांक 30.08.2024 को समय करीब 11.30 बजे वादी ने अपने ए0सी0 की सीरिज के सम्बन्ध में गोदरेज कम्पनी के कस्टमर केयर नम्बर पर फोन किया तो कॉल रिडायरेक्ट होकर 9907696182 पर चली गयी। उपरोक्त मोबाइल नम्बर पर बात करने वाले ने कहा कि ए0सी0 सीरिज की रिक्वेस्ट के लिये 10/-रुपये से रजिस्ट्रेशन करना पडेगा,वादी ने उसके दिशा निर्देश के अनुसार कार्य किया और उसने वादी के खाते से 92,000/-रुपये और वादी की पत्नी के खाते से 70,000/-रुपये निकाल लिये। वादी ने घटना के सम्बन्ध में साइबर क्राइम थाना हजरतगंज में शिकायत दर्ज करायी। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 618/2024 धारा 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना चिनहट-दिनांक 04.09.2024 थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री बैकुंठ तिवारी निवासी ग्राम व पोस्ट खुरमा बाद सासाराम रोहतास बिहार हाल पता किराये का मकान 633/352 मीना राहुल विला गहमर कुंज थाना चिनहट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि वादी टाटा मोटर्स लिमिटेड लखनऊ प्लाट में स्थायी कर्मचारी के पद पर कार्य करता है। दिनांक 27.08.2024 को समय करीब 2.30 बजे रात्रि को वादी के कमरे से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के दो डेबिट कार्ड,मोबाइल फोन,आधार कार्ड,पैन कार्ड,वोटर कार्ड,और 700/-रुपये नगद चोरी कर लिया गया। इसके उपरान्त वादी 29.08.2024 को भारतीय स्टेट बैंक चिनहट ब्रांच में अपने खाते का विवरण निकला तो देखा कि वादी के खाते से 1,54,951/- रुपये 27/28/29.08.2024 को निकाल लिया गया है। इसके बाद वादी द्वारा साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में शिकायत दर्ज करायी गयी। **इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 415/2024 धारा 305(ए) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी-दिनांक 04.09.2024 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी श्री अंशुमान सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह निवासी डी3/82 अंसल थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ने थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि दिनांक 02.09.2024 को समय करीब 12.00 बजे दिन में वादी अपने मकान से अपने दफ्तर को निकला और शाम समय करीब 20.00 बजे वापस आया तो घर में प्रवेश करने पर पाया कि मकान के दाहिने कमरे की खिड़की का ग्लास टूटा हुआ था और कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ अस्त व्यस्त था। जिसको देखने पर लगा कि घर पर कोई व्यक्ति जबरन प्रवेश किया गया है ,अन्दर जाकर देखने पर पता लगा कि वादी का लैपटॉप (एचपी सिल्वर) और इयर प्लम्स गायब है। **इस सूचना पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 458/2024 धारा 331(3)/305 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना गोसाईगंज-</u>दिनांक 04.09.2024 थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह निवासी दलपत खेडा मजरा अनैया खरगापुर थाना नगराम लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि वादी के पिताजी की उम्र करीब 68 वर्ष व माता जी की उम्र करीब 67 वर्ष है दिनांक 01.09.2024 को अपनी मोटरसाइकिल टी0वी0एस0 मोपेड वाहन संख्या यू0पी0 32 के0डी0 1095 से समय करीब प्रातः 09.00 से 10.00 बजे के मध्य गांगागंज निकट सुल्तानपुर रोड किसान गर्ग के पास कट क्रास कर रहे थे ।तभी सुल्तानपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार गाडी संख्या यू0पी0 44 बी0ई0 2187 ने टक्कर मार दी ,जिससे की वादी के पिता देवेन्द्र सिंह पुत्र संतबक्स सिंह निवासी ग्राम दलपत खेडा मजरा अनैया खरगापुर थाना नगराम लखनऊ की मौके पर ही मृत्यु हो गयी,माता श्रीमती कलावती उर्फ कृष्णावती पत्नी देवेन्द्र सिंह की लखनऊ की ट्रामा सेन्टर मेडिकल कॉलेज में ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी । **इस सूचना पर थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0 352/2024 धारा 281/106/324(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना सादतगंज-</u> दिनांक 04.09.2024 को थाना सादतगंज द्वारा बताया गया कि श्री देवेन्द्र अवस्थी पुत्र स्व0 कौशल कुमार निवासी 342/99 नौबस्ता थाना सादतगंज लखनऊ ने थाना सादतगंज पर सूचना दिया कि मेरे छोटे भाई रितेश अवस्थी उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र कौशल कुमार अपने निवास स्थान पर अपने बेटे राघवेन्द्र उर्फ राघव उम्र करीब 12 वर्ष के साथ रहते थे । उनकी पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो गया है । लम्बे समय से वह नशे के आदी थे दिन में भी अक्सर शराब व भाँग का सेवन कर लिया करते थे । दिनांक 03.09.2024 को समय करीब 05.30 बजे शाम अपने बाथरुम में गये तथा बाथरुम में ही गिर गये थे जिससे अर्द्ध मूर्छित अवस्था में इलाज हेतु के0जी0एम0यू0 मेरे सगे छोटे भाई मनोज अवस्थी द्वारा ले जाया गया,जहाँ डॉक्टरो द्वारा उन्हे मृत घोषित कर दिया गया । **इस सूचना पर उ0नि0 ओम हरि मो0नं0-9837509810 थाना सादतगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना माल-</u> दिनांक 04.09.2024 को थाना माल द्वारा बताया गया कि श्री लालजी पुत्र स्व0 कन्ठे निवासी ग्राम रामनगर थाना माल लखनऊ ने थाना माल पर सूचना दिया कि आज दिनांक 04.09.2024 को समय करीब 09.50 बजे जानकारी हुयी कि मेरी भाभी कुसमा पत्नी रामआसरे निवासी ग्राम रामनगर थाना माल लखनऊ ने रुदानखेडा पुलिया के पास स्थित आम के बाग में जाकर अज्ञात कारणों से फाँसी लगा ली है मैने जब जाकर देखा तो भाभी कुसमा आम के पेड़ की डाल पर साडी के फंदे से फाँसी लगाये है । **इस सूचना पर उ0नि0 रजनीश कान्त भारती मो0नं0-8707259251 थाना माल द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि कुसमा उम्र करीब 42 वर्ष पत्नी रामआसरे निवासी ग्राम रामनगर थाना माल जनपद लखनऊ किसी अस्पताल में कार्य करती है,इनके पति रामआसरे खेती का कार्य करते है । कुसमा उपरोक्त के एक पुत्री कामिनी 21 वर्ष व एक पुत्र 17 वर्ष है । कुसमा उपरोक्त द्वारा रुदानखेडा पुलिया के पास स्थित आम के बाग में साडी का फंदा बनाकर आम के पेड़ की डाल से फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली है,शव पर कोई जाहिरा चोट नहीं है ,पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।